न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 55/2018 G.C.M.S. No. 2018/00201 दर्ज दिनांक : 14.06.2018

अपीलार्थिगण:

प्रेमसिंह पुत्र अजीमा, उम्र 63 वर्ष, जाति रावत, निवासी देवनगर चांग, तहसील रायपुर जिला पाली (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर, जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.05.2016 जो राजस्व वाद संख्या 33/2011 प्रेमसिंह बनाम सरकार में न्यायालय उपखंड अधिकारी रायपुर द्वारा पारित की गई को निरस्त कराने बाबत् सपठित प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5, परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित–

1. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

निर्णय

दिनांक: 10.10.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी रायपुर के राजस्व वाद संख्या 33/2011 बअनवान प्रार्थी प्रेमसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा चांग के खसरा नंबर 3061/1 रकबा 106 बीघा व खसरा नंबर 3061/2 रकबा 2 बीघा किस्म गैर.मु. मगरी जिसके नये खसरा नंबर 4147, 4149, 4161 बने हुए हैं। उक्त भूमि के रकबा 10 बीघा पर वादी अपीलांट के पिता अजमा पुत्र चन्दा व अन्ना पुत्र चन्दा के 70 वर्षों के जीवनकाल से कब्जाकाश्त चला आ रहा है तथा मौके पर रहवासी मकान व कुंआ है। खसरा नंबर 4147 की खातेदारी भूमि, खसरा नंबर 4147/4 रकबा 0.0089 व खसरा नंबर 4147/10 रकबा 0.0126 की खातेदारी भूमि राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं [illegible] से वादी के विरूद्ध धारा 91 एल. आर. एक्ट की कार्यवाही की गई जबकि वादी के प्रति खातेदारी अधिकारी के तहत वादी ने उक्त तीनों खसरों की भूमि के संबंध में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद आवश्यक प्रकृति का होने से तत्काल पेश किया। जिसका प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश किया तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.05.05 15:57:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की। वादी का वाद साक्ष्य वादी नियत था। दिनांक 22.01.2015 ये 29.06.2016 तक पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो एवं भ्रमण में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 29.06.2016 तक वादी साक्ष्य में निहित थी। तत्पश्चात उक्त दिनांक 29.06.2016 से पूर्व वादी व उसके अधिवक्ता को सूचित किए बिना एवं बिना नोटिस दिए राजस्व लोक अभियान कैम्प चांग में दिनांक 26.05.2016 को नियत की गई। उक्त दिनांक को वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होते हुए एवं न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए एवं वादी को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिए बिना वादी का वाद प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध खारिज कर दिया गया। उक्त वाद के संबंध में वादी ने कई बार पेशियों की जानकारी चाही लेकिन किसी भी तरह से जानकारी प्राप्त नहीं हुई। वादी ने अपने अन्य अधिवक्ता के मार्फत उक्त वाद की पत्रावली की जानकारी प्राप्त किए जाने पर दिनांक 12.04.2018 को यह जानकारी प्राप्त हुई कि वादी का वाद खारिज कर दिया गया है। जोकि विधिसम्मत नहीं है। वादी द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर उक्त अपील श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं प्रावधानों के विरूद्ध है। पत्रावली साक्ष्य वादी में दिनांक 29.06.2016 को नियत थी। न्यायालय द्वारा वादी एवं उसके अधिवक्ता को राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम चांग में दिनांक 26.05.2016 की पेशी की सूचना एवं नोटिस दिए बिना पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना दिनांक 26.05.2016 को वादपत्र खारिज कर दिया, जिसकी वादी को जानकारी नहीं दी गई। वादी को दिनांक 12.04.2018 को अन्य अधिवक्ता के जरिये ज्ञात हुआ कि वादी का वाद खारिज कर दिया गया है। अतः पत्रावली एवं अन्य दस्तावेज की नकलें दिनांक 12.04.2018 को प्राप्त की। अतः अंदर म्याद अपील प्रस्तुत की गई। विधिशून्य निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील हेतु कानूनन अवधि कोई बाधा नहीं हैं। अतः न्यायहित में विलंबकाल माफ कर उक्त अपील को जानकारी दिनांक से अंदर अवधि शुमार फरमावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा चांग के खसरा नंबर 3061/1 रकबा 106 बीघा व खसरा नंबर 3061/2 रकबा 2 बीघा किस्म गैर.मु. मगरी जिसके नये खसरा नंबर 4147, 4149, 4161 बने हुए हैं। उक्त भूमि के रकबा 10 बीघा पर वादी अपीलांट के पिता अ[illegible] के 70 वर्षो के जीवनकाल से कब्जाकाश्त चला आ रहा है तथा मौके पर रह[illegible] मक[illegible] व कुंआ है। खसरा नंबर 4147 की खातेदारी भूमि, खसरा नंबर 41[illegible] 4147/10 रकबा 0.0126 की खातेदारी भूमि राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं किए जाने से वादी के विरूद्ध धारा 91 एल. आर. एक्ट की कार्यवाही की गई, जबकि वादी के [illegible] खातेदारी अधिकारों के तहत वादी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.05.05 15:37:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

उक्त तीनों खसरों की भूमि के संबंध में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद आवश्यक प्रकृति का होने से तत्काल पेश किया। जिसका प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई। वादी का वाद साक्ष्य वादी नियत था। दिनांक 22.01.2015 ये 29.06.2016 तक पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो एवं भ्रमण में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 29.06.2016 तक वादी साक्ष्य में निहित थी। तत्पश्चात उक्त दिनांक 29.06.2016 से पूर्व वादी व उसके अधिवक्ता को सूचित किए बिना एवं बिना नोटिस दिए राजस्व लोक अभियान कैम्प चांग में दिनांक 26.05.2016 को नियत की गई। उक्त दिनांक को वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होते हुए एवं न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए एवं वादी को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिए बिना वादी का वाद प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध खारिज कर दिया गया। उक्त वाद के संबंध में वादी ने कई बार पेशियों की जानकारी चाही लेकिन किसी भी तरह से जानकारी प्राप्त नहीं हुई। वादी ने अपने अन्य अधिवक्ता के मार्फत उक्त वाद की पत्रावली की जानकारी प्राप्त किए जाने पर दिनांक 12.04.2018 को यह जानकारी प्राप्त हुई कि वादी का वाद खारिज कर दिया गया है। जोकि विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रार्थना पत्र पर लिखित बहस प्रस्तुत कर विभिन्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। लिखित बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों एवं तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी एवं उसके अधिवक्ता को सूचित किए बिना पत्रावली दिनांक 26.05.2016 को राजस्व लोक अभियान कैम्प चांग में पेशी पर लेकर निर्णित कर दी गई, जबकि वादी की जानकारी के अनुसार पत्रावली दिनांक 29.06.2016 को साक्ष्य वादी में नियत थीं। अतः आक्षेपित निर्णय वादी अपीलांट की पीठ के पीछे एवं जानकारी के अभाव में किया गया, जिसमें म्याद अवधि लागू नहीं होती हैं। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 12.04.2018 को हुई। अतः अपीलांट की जानकारी से प्रकरण को अंदर म्याद फरमावें।

हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस, अपील, धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली–भांति अध्ययन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान अध्ययन एवं अवलोकन करते हुए प्रकरण के समुचित निर्णय में मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण में सर्वप्रथम धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रार्थना पत्र का विवेचन एवं निर्णयन आवश्यक है, जोकि निम्नानुसार है–

1. अपीलांट का मुख्य रूप से कथन यह है कि अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.06.2016 को साक्ष्य वादी में नियत थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट वादी एवं उसके अधिवक्ता को सूचित किए बिना पत्रावली दिनांक 26.05.2016 को राजस्व लोक अभियान कैम्प चांग में पेशी पर लेकर निर्णित कर दी। उक्त निर्णय वादी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.05.05 15:37:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वादी अधिवक्ता की जानकारी के अभाव में वादी की पीठ के पीछे किया गया है, जो कानूनन विधिविरूद्ध है। वादी को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 12.04.2018 को हुई।

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 25.04.2016 के अनुसार पत्रावली में आगामी दिनांक 29.06.2016 नियत की गई। जो पूर्व से साक्ष्य वादी में चल रही थीं। तत्पश्चात आदेशिका अंकन अनुसार राज्य सरकार द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान 2016 शुरू करने के फलस्वरूप पत्रावली लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत चांग पर दिनांक 26.05.2016 को पेश हों, का अंकन है। आदेशिका में न तो अधिवक्ता न वादी के उपस्थित होने का अंकन है तथा न ही इन्हें सूचित करने का कोई निर्देश है एवं न ही पत्रावली पर वादी या अधिवक्ता वादी को नोटिस जारी किए जाने का कोई उल्लेख है। आदेशिका दिनांक 26.05.2016 के अंकन अनुसार पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 चांग में पेश हुई। पैरोकार उपस्थित। बहस वकील वादी एवं पैरोकार सरकार सुनी गई। बहस का मनन किया एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया.....वाद वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय जुदा लिखा गया शामिल मिसल हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हों। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय वादी या अधिवक्ता वादी को सूचित किए बिना उनकी जानकारी के अभाव में पीठ के पीछे किया गया है। अतः वादी अपीलांट से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि उसे प्रकरण के निर्णय की दिनांक से ही जानकारी हों। अतः अपीलांट को प्रकरण की जानकारी नकल आवेदन प्राप्त करने की दिनांक 12.04.2018 को ही हुई हों, इस पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं हैं। अपीलांट द्वारा दिनांक 01.05.2018 को न्यायालय हाजा में हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं। लिहाजा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रतिवादी से जवाबदावा लिया जाकर विवाद्यक विरचित किए जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में चल रही थीं। पत्रावली दिनांक 29.06.2016 को साक्ष्य वादी के लिए नियत थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी या वादी अधिवक्ता को सूचित एवं नोटिस जारी किए बिना पत्रावली लोक अदालत अभियान कैम्प चांग में दिनांक 26.05.2016 को नियत कर वादी या वादी अधिवक्ता की अनुपस्थिति तथा जानकारी के अभाव में वादपत्र लोक अदालत कैम्प में खारिज कर दिया गया। अतः न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया विधिक प्रावधानों के विरूद्ध तथा प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पालना किए बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई हैं, जो निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.05.2016 को अपास्त फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.05.05 15:57:53 IST
Reason: SelfAttested

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2012 को विवाद्यक विरचित किए गए तथा पत्रावली साक्ष्य वादी में

Scanned with OKEN Scanner

नियत की गई। आदेशिका दिनांक 25.04.2016 के अनुसार पत्रावली आयंदा दिनांक 29.06.2016 को साक्ष्य वादी के लिए नियत थी, तत्पश्चात राजस्व लोक अदालत अभियान शुरू करने के फलस्वरूप पत्रावली लोक अदालत कैम्प पंचायत मुख्यालय चांग पर दिनांक 26.05.2016 को पेश हो, का अंकन है। दिनांक 26.05.2016 के आदेशिका अंकन अनुसार पत्रावली लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प चांग में पेश होकर कैम्प में ही पत्रावली वादपत्र खारिज किया जाकर निर्णित कर दिया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पत्रावली की आदेशिका में लोक अदालत कैम्प चांग में पत्रावली दिनांक 26.05.2016 को रखे जाने बाबत वादी या वादी अधिवक्ता को किसी प्रकार की सूचना या नोटिस जारी किए जाने का कोई अंकन नहीं हैं, तथा न ही पत्रावली पर ऐसी कोई सूचना पत्र या नोटिस या कोई निर्देश पत्र उपलब्ध है।

5. प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.सी.आर. सिविल 2006 (4) पेज 947 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अंतर्गत लोक अदालत के द्वारा मुकदमों के निस्तारण की शक्तियों के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है– " No Order can be passed by Lok Adalat if no compromised or settlement of could at between Parties." इस प्रकार यह सुविस्थापित प्रावधान है कि पक्षकारों के मध्य बिना सहमति हुए एवं बिना राजीनामा हुए किसी भी प्रकरण को न तो लोक अदालत में रखा जा सकता है एवं न ही लोक अदालत में निर्णित किया जा सकता है, ऐसा किया जाना पक्षकारों के मध्य न्यायिक जबरदस्ती की श्रेणी में आता है, जिसका किसी भी दृष्टि में समर्थन नहीं किया जा सकता है।

6. व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 में निम्नानुसार विधिक प्रावधान है– ''न्यायालय हरएक विवाद्यक पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा– उन वादों में, जिनमें विवाद्यक की विरचना की गई हैं, जब तक कि विवाद्यकों में से किसी एक या अधिक का निष्कर्ष वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त न हो, न्यायालय हर एक पृथक विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष या विनिश्चय उस निमित्त कारणों के सहित देगा।'' इस प्रकार यह आज्ञापक विधिक प्रावधान है कि न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रत्येक विवाद्यक पर उपलब्ध साक्ष्य का संगत विधिक प्रावधानों एवं विधिक प्रक्रियागत उपबंधों के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत विवेचन करते हुए प्रत्येक विवाद्यक पर स्पष्ट कारण सहित पृथक–पृथक विनिश्चय एवं विनिर्णय करना होता है तथा इसके तत्पश्चात प्रकरण को अंतिम रूप से निर्णित किया जाना होता है। प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद्यक तो विरचित किए गए हैं लेकिन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में न तो किसी भी पक्ष से साक्ष्य ली गई हैं न ही किसी पक्ष को अपना पक्ष साबित करने या बचाव करने का कोई अवसर दिया गया है तथा न ही विवाद्यकवार पृथक–पृथक विवेचन एवं निर्णयन किया गया है। यदि बाव[illegible] के पक्षकार/पैरोकार उपस्थित नहीं होते हैं तो प्रकरण अदम हाजरी [illegible] है, लेकिन किसी भी दृष्टि से गुणावगुण के आधार पर निर्णयन नहीं किया [illegible] सकता। अतः यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय लोक अदालत के अंतर्गत नहीं [illegible] कैम्प कोर्ट के रूप में भी किया गया है तो भी उक्त निर्णय का समर्थन एवं पुष्टि नहीं की जा सकती।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.05.05 15:57:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रश्नगत निर्णय एवं डिक्री से पूर्व पक्षकारान को आगामी तारीख पेशी की सूचना/नोटिस दिए बिना प्रकरण लोक अदालत कैम्प में रखने, पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत होने के बावजूद प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 के आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन न करते हुए प्रकरण में विवाद्यकवार विवेचन एवं निर्णयन नहीं करने, पक्षकारान की सहमति, राजीनामा नहीं होने के बावजूद प्रकरण लोक अदालत कैम्प में रखकर निर्णित कर देने तथा ऐसा निर्णय/आदेश विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 की धारा 20 से बाधित होने के कारण अपील अपीलांट भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर रायपुर के राजस्व वाद संख्या 33/2011 बअनवान श्री प्रेमसिंह पुत्र अजीमा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.05.2016 को अपास्त/निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 के विधिक उपबंधों का पालन करते हुए विवाद्यकवार पृथक–पृथक विवेचन करते हुए अपने सकारण अभिमत के साथ निर्णयन कर प्रकरण को अंतिम रूप से पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक **10.10.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.05.05 15:57:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner